रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 204] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 1986/भाद्र 24, 1908
NO. 204] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 15, 1986/BHADRA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण,

सार्वजनिक सूचना सं 117 आई टी सी (पी एन)/85—88

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1986

विषय: वर्ष अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए आयात-निर्यात नीति।

मि. सं. आई पी सी 4/पी आर सी/24/85—88(खंड-3):— वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 113-आईटीसी (पी एन)/85—88, दिनांक 1 सितम्बर, 1986 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. उसके पैरा-2 में क्रम सं. 16 के सामने के कालम-4 में वर्तमान प्रविष्टि (अंग्रेजी रूपांतर में) को निम्न प्रकार से ठीक किया जाए :—

"45(क) गैर-काल्पनिक, शैक्षिक और अनुदेशात्मक फिल्में (विडियो फिल्म सहित) जो 16 मि.मि. या कम गेज की हों और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा "सर्वाधिक शैक्षिक और गैर-काल्पनिक" के रूप में प्रमाणित की गई हों।

(ख) काल्पनिक शैक्षिक और अनुदेशिक फिल्में (वीडियो फिल्म सहित) जो 16 मि.मि. या कम गेज की और 800 मि.मि. या कम लंबी हों केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा "सर्वाधिक शैक्षिक" के रूप में प्रमाणित की गई हों।

सभी व्यक्तियों द्वारा"।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 117—ITC(PN)/85—88

New Delhi, the 15th Sept. 1986

Subject: Import & Export policy for April 1985—March 1988.

File No. IPC/4/PRC/24/85-88(Vol-III):—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 113—ITC(PN)/85—88 dated the 1st September, 1986.

2. The entry appearing in Colum 4 against Sl. No. 16 in paragraph 2 thereof (in the English version) may be corrected as under:—

"45 (a) Non-fictional, educational and instructional films (including video films) in a gauge of 16mm or less, certified by the Central Board of Film Certification to be "predominantly educational and non-fictional".

(b)fictional, educational and instructional films (including video films) in gauge of 16mm or less, of 800 metres or less in length, certified by the Central Board of Film Certification to be "predominantly educational".

By all persons"

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986